



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 31, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

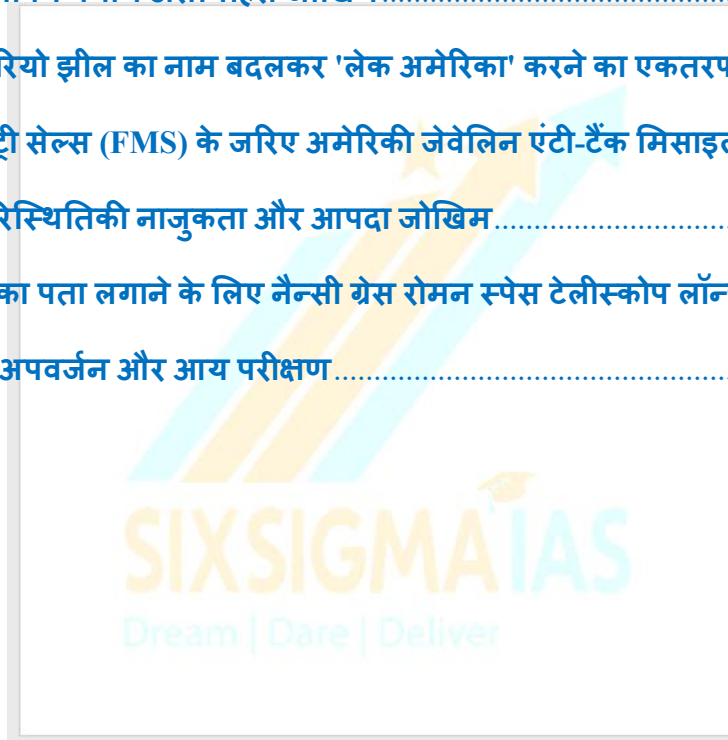


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत और उज्बेकिस्तान ने संबंधों को उन्नत किया, यूरेनियम सौदे पर सहमति जताई	2
2. वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) में पूर्ण प्रवासन और अनिवार्य ई-केवाईसी में छूट	4
3. कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु बैकलॉग पानी छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा	5
4. भारतीय रेलवे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के जरिए छह मालगाड़ी लाइनों का निर्माण करेगा	7
5. भारत में पॉलिमर बैंकनोट्स का परिचय: BRBNMPL निविदा (Bidding) और सुरक्षा जनादेश	8
6. श्रीलंका ने तमिलनाडु में रहने वाले लौट रहे शरणार्थियों के लिए कानूनी बाधाओं को माफ किया	10
7. भारत परिदृश्य: लचीलापन बनाम अंतर्निहित जोखिम	11
8. अमेरिका द्वारा ऑंटारियो झील का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' करने का एकतरफा फैसला	13
9. भारत ने फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS) के जरिए अमेरिकी जेवेलिन एंटी-टैंक मिसाइलें हासिल कीं	14
10. हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकी नाजुकता और आपदा जोखिम	16
11. नासा ने डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया	17
12. ओबीसी क्रीमी लेयर अपवर्जन और आय परीक्षण	18



1. भारत और उज्बेकिस्तान ने संबंधों को उन्नत किया, यूरेनियम सौदे पर सहमति जताई

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन (Elevation to Comprehensive Strategic Partnership):** अपनी रणनीतिक साझेदारी के 15 साल पूरे होने के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया।
- दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति ढांचा (Long-Term Uranium Supply Framework):** दोनों देशों ने भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को ईंधन देने के लिए उज्बेकिस्तान से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक ढांचा स्थापित किया।

- महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य (Ambitious Bilateral Trade Target):** बाजार पहुंच, बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों के मुद्दों को हल करके, वर्तमान में \$1 बिलियन से अधिक के वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक पांच गुना बढ़ाकर \$5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- उच्च स्तरीय संस्थागत उन्नयन (High-Level Institutional Upgrades):** विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक समन्वय परिषद (Coordination Council) स्थापित करने का निर्णय लिया गया और मौजूदा संयुक्त आयोग (Joint Commission) को सचिव स्तर से उठाकर मंत्री स्तर तक उन्नत किया गया।
- प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर (Signing of Key Agreements):** महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, रक्षा, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI एकीकरण सहित), और शिक्षा को कवर करने वाले 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- रक्षा और सांस्कृतिक जुड़ाव (Defense & Cultural Engagement):** संयुक्त रक्षा सह-उत्पादन, आतंकवाद/उग्रवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की पुनः पुष्टि की गई, और फयाज टेपा तथा कारा टेपा में प्राचीन बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए एक आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए गए।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership):** एक उन्नत द्विपक्षीय शासन ढांचा जो संरचित, बहु-क्षेत्रीय संस्थागत सहयोग के माध्यम से रक्षा, आर्थिक, राजनयिक और ऊर्जा तालमेल को व्यापक बनाता है।
- नागरिक परमाणु सहयोग समझौता (Civil Nuclear Cooperation Agreement):** एक द्विपक्षीय व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों (safeguards) के तहत शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन (यूरेनियम) और तकनीक के हस्तांतरण/खरीद को सुगम बनाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 51 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** संघ को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, राज्यों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और संधि दायित्वों का आदर करने का जनादेश देता है।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (Atomic Energy Act, 1962):** परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण, शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु ईंधन के आयात पर केंद्रीय नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 [Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992]:** निर्यात-आयात नीतियों को नियंत्रित करता है, व्यापार विस्तार तंत्र और संस्थागत भुगतान निपटान को सुगम बनाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करना भारत के मध्य एशियाई जुड़ाव के केंद्र के रूप में उज्बेकिस्तान की स्थिति को मजबूत करता है। UPI की तैनाती और महत्वपूर्ण खनिज पहुंच के साथ-साथ दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुरक्षित करना यूरेशिया में भारत के रणनीतिक प्रभाव, ऊर्जा लचीलेपन और आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** भारत और उसका विस्तारित पड़ोस; भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव।

- जीएस पेपर III:** ऊर्जा सुरक्षा (परमाणु ऊर्जा); अवसंरचना, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, और महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाएं।

2. वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) में पूर्ण प्रवासन और अनिवार्य ई-केवाईसी में छूट

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सार्वभौमिक योजना प्रवासन (Universal Scheme Migration):** ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत पंजीकृत सभी श्रमिकों को 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' [VB-G RAM G] योजना में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- काम के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्व शर्त नहीं:** लंबित इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (e-KYC) प्रक्रिया किसी भी पंजीकृत श्रमिक को गारंटीकृत रोजगार मांगने या प्राप्त करने से नहीं रोकती है। e-KYC को वैधानिक अधिकारों की पूर्व शर्त के बजाय केवल एक डेटाबेस-सत्यापन उपाय के रूप में माना जाएगा।
- महत्वपूर्ण सत्यापन कवरेज (Significant Authentication Coverage):** उच्च कवरेज हासिल की गई है, जिसमें 15.89 करोड़ श्रमिकों (~95%) के लिए e-KYC पूरा हो चुका है, जिसमें 10.84 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 10.27 करोड़ शामिल हैं। इससे लगभग 57 लाख सक्रिय श्रमिकों का e-KYC लंबित रह जाता है।
- सरलीकृत अपवाद तंत्र (Streamlined Exception Mechanisms):** स्थानीय प्रशासनिक स्तरों पर उपयुक्त अपवाद प्रबंधन तंत्र स्थापित किए गए हैं ताकि उन श्रमिकों के लिए निरंतर कार्य आवंटन सुनिश्चित किया जा सके जिनका डिजिटल सत्यापन अधूरा है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी:** मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों का e-KYC पूरा करना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की प्रशासनिक जिम्मेदारी बनी हुई है, जिसे केंद्र द्वारा लगातार समर्थित और मॉनिटर किया जाता है।
- अबाधित आजीविका गारंटी (Uninterrupted Livelihood Guarantee):** VB-G RAM G के तहत 2.11 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पहले ही रोजगार की पेशकश की जा चुकी है, जिससे मनरेगा से परिचालन संक्रमण के दौरान शून्य व्यवधान सुनिश्चित हुआ है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- वीबी-जी राम जी अधिनियम (VB-G RAM G Act):** विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, एक वैधानिक पुनर्गठन जो मनरेगा का स्थान लेता है ताकि ग्रामीण रोजगार को दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और आजीविका सुरक्षा के साथ जोड़ा जा सके।
- ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर):** एक दूरस्थ, कागज रहित प्रक्रिया जो श्रमिक की पहचान को प्रमाणित करने और आधिकारिक डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन का उपयोग करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **काम के अधिकार की वैधानिक गारंटी (Statutory Guarantee of Right to Work):** मनरेगा के तहत 100 दिनों की पात्रता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिनों की संवर्धित वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी से बदलता है।
- **अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेरोजगारी या अयोग्य अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन और आजीविका का अधिकार):** न्यायपालिका द्वारा आजीविका के अधिकार को शामिल करने के लिए व्याख्यायित, जो प्रशासनिक अपवर्जन के बिना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच बनाए रखने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

तत्काल कार्य आवंटन से अनिवार्य ई-केवाईसी अनुपालन को अलग करना प्रशासनिक डेटाबेस अखंडता और बुनियादी ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाता है। तकनीकी बाधाओं को वैधानिक कल्याणकारी अधिकारों पर हावी होने से रोककर, यह नीति आधुनिक VB-G RAM G ढांचे के तहत प्रणालीगत दक्षता को बनाए रखते हुए संवेदनशील ग्रामीण परिवारों की सुरक्षा करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस PAPER II:** केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; गरीबी और भूख से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही।
- **जीएस PAPER III:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली- उद्देश्य और सीमाएं; समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे; अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन।

3. कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु बैकलॉग पानी छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **सुप्रीम कोर्ट में याचिका:** तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर कर्नाटक को आनुपातिक (pro-rata) सूत्र के आधार पर कमी की गणना करते हुए कावेरी जल की 17.604 tmc ft की शेष मात्रा जारी करने के निर्देश देने की मांग की है।
- **दैनिक पानी छोड़ने की मांग:** तमिलनाडु ने अदालत से आग्रह किया कि वह कर्नाटक को 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच अंतर-राज्यीय सीमा बिंदु बिलीगुंडलू में 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दे।
- **CWRC/CWMA के निर्देशों की अपर्याप्तता:** राज्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कावेरी जल नियामक समिति (CWRC) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) प्रतिदिन केवल 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश देते हुए 17.415 tmc ft के संचित बैकलॉग को संबोधित करने में विफल रहे।

- **डेल्टा किसानों पर प्रभाव:** देय हिस्से के न छोड़े जाने से तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवई (Kuruvai) फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे मेट्टूर बांध समय पर कृषि आपूर्ति के लिए खुलने में असमर्थ है।
- **नियामक आदेशों का पालन करने में विफलता:** तमिलनाडु ने तर्क दिया कि कर्नाटक 27 अगस्त से 30 अगस्त के बीच CWMA द्वारा अनिवार्य अंतर-राज्यीय जल प्रवाह को सुनिश्चित करने में विफल रहा।
- **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review):** राज्यों के बीच परिचालन गतिरोध को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा 31 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई तय की गई है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **प्रो-राटा (आनुपातिक) सूत्र [Pro-Rata Formula]:** एक संकट-साझाकरण (distress-sharing) आवंटन तंत्र जहां कमी वाले वर्ष में वर्षा और प्रवाह की प्रतिशत कमी के आधार पर जल साझा करने वाले राज्यों के बीच आनुपातिक रूप से पानी का आवंटन कम कर दिया जाता है।
- **TMC FT एवं क्यूसेक (Cusec):** 'थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट' (tmc ft) जल भंडारण की बड़ी मात्रा को मापने की एक इकाई है, जबकि 'क्यूसेक' (cusec) प्रति सेकंड क्यूबिक फीट में मापी जाने वाली प्रवाह दर को दर्शाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसमें ट्रिब्यूनल के निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956):** जल विवाद ट्रिब्यूनल (जैसे, कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल) स्थापित करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतिम निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
- **कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018 (Cauvery Water Management Scheme, 2018):** सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत केंद्र द्वारा तैयार की गई, जो जल नियमन और निर्णय आवंटन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए CWMA और CWRC की स्थापना करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

कमी वाले महीनों के दौरान कावेरी जल के हिस्से को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बार-बार होने वाला विवाद गतिशील संकट-साझाकरण प्रोटोकॉल की कमजोरी को रेखांकित करता है। CWMA द्वारा लगातार मॉनिटर किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ, डेटा-संचालित प्रो-राटा परिचालन नियमों को अपनाकर कृषि संकट को कम करने और ऊपरी तथा निचले तटीय राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव से बचने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस PAPER II:** अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद, संघीय ढांचा और चुनौतियां, अनुच्छेद 262 के तहत संवैधानिक तंत्र, और CWMA जैसे नियामक निकायों की भूमिका।
- **जीएस PAPER III:** जल संसाधन प्रबंधन, कृषि जल सुरक्षा, फसल पैटर्न (कुरुवई फसल का मौसम), और जलवायु-प्रेरित संकट आवंटन तंत्र।

4. भारतीय रेलवे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के जरिए छह मालगाड़ी लाइनों का निर्माण करेगा

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- पहली बार रेल HAM परियोजना:** वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) ने हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत 647 किमी में फैली छह मालगाड़ी रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है, जो रेलवे अवसंरचना में इसकी शुरुआत का प्रतीक है।
- भौगोलिक वितरण:** यह परियोजनाएं प्रमुख खनन पट्टियों को कवर करती हैं: चार ओडिशा में (बलराम-पुतगड़िया-तेंदुलोई, बुधपंक-तेंदुलोई-लुबुरी, जाजपुर-केओझर रोड से धामरा पोर्ट, और टिकिरी से वाल्टेयर बॉक्साइट खदानें), एक तेलंगाना में (मानुगुरु-रामागुंडम), और एक झारखंड में (पाकुड़/नगरनबी से गोड्डा)।
- जोखिम-साझाकरण तंत्र (Risk-Sharing Mechanism):** बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर DBFOT मॉडल से हटकर, भारतीय रेलवे सभी ट्रेफिक और टैरिफ जोखिमों को वहन करेगा, जबकि निर्माण के दौरान पूंजीगत अनुदान के रूप में बोली लागत का 40% वित्त पोषित करेगा।
- वित्तीय संरचना (Financing Structure):** निजी डेवलपर्स निर्माण लागत के शेष 60% का वित्तपोषण करते हैं, जिसे भारतीय रेलवे 17 से 19 साल की रियायत अवधि (concession period) में ब्याज के साथ आवधिक वार्षिकी (annuity) भुगतानों के माध्यम से पुनर्भुगतान करेगा।
- माल ढुलाई वस्तुओं पर ध्यान:** ये समर्पित गलियारे रणनीतिक रूप से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोक, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक और खाद्यान्न सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक थोक सामग्रियों को ढोने के लिए नियोजित हैं।
- पूंजीगत व्यय (Capital Outlay):** परियोजना की कुल बोली लागत ₹15,976 करोड़ है, जबकि रियायत अवधि के दौरान कुल जीवनचक्र पूंजीगत लागत ₹40,866 करोड़ रहने का अनुमान है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM):** एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचा जो EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) और BOT-एन्यूटी मॉडल को मिलाता है, जहां सरकार निर्माण के दौरान परियोजना लागत का 40% भुगतान करती है और डेवलपर कमीशनिंग के बाद निश्चित अर्ध-वार्षिक वार्षिकी (annuities) के माध्यम से शेष 60% की वसूली करता है।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC):** आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत एक विशेष समिति, जो कैबिनेट की मंजूरी से पहले केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी अवसंरचना प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची, संघ सूची, प्रविष्टि 22):** राष्ट्रीय रेलवे के नियमन, संचालन और विस्तार पर संसद को अनन्य विधायी शक्ति प्रदान करता है।

- **रेलवे अधिनियम, 1989 (The Railways Act, 1989):** रेलवे निर्माण, माल ढुलाई दर निर्धारण, संपत्ति रखरखाव और रियायतग्राही (concessionaire) परिचालन सीमाओं को नियंत्रित करने वाली कानूनी वास्तुकला की स्थापना करता है।
- **रेलवे अवसंरचना के लिए सहभागी नीति (2012, अद्यतन):** माल ढुलाई रेल रसद में निजी क्षेत्र की इक्विटी भागीदारी, गैर-राज्य रेलवे संचालन और संयुक्त उद्यम मॉडल को नियंत्रित करने वाला प्रशासनिक ढांचा।

निष्कर्ष (Conclusion)

रेल माल गलियारों के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल को अपनाना ऐतिहासिक वित्तपोषण घाटे को पाटता है जबकि निजी निवेशकों को मांग के उतार-चढ़ाव से बचाता है। खनिज समृद्ध पट्टियों में पूंजी निवेश के जोखिम को कम करके, भारतीय रेलवे सार्वजनिक बहीखाते (balance sheets) पर अधिक बोझ डाले बिना क्षमता विस्तार को तेज करने, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और माल गलियारों का आधुनिकीकरण करने के लिए निजी दक्षता का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस PAPER II:** महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) शासन ढांचा और संस्थागत अनुमोदन तंत्र।
- **जीएस PAPER III:** अवसंरचना (रेलवे, माल ढुलाई गलियारे); निवेश मॉडल (HAM, BOT, EPC); संसाधनों का जुटना, आर्थिक विकास, और आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स दक्षता।

5. भारत में पॉलिमर बैंकनोट्स का परिचय: BRBNMPL निविदा (Bidding) और सुरक्षा जनादेश

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **पॉलिमर सबस्ट्रेट्स के लिए वैश्विक EOI:** भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड (BRBNMPL) ने अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं वाले पॉलिमर सबस्ट्रेट शीट्स के लगभग 68,000 रीम (reams) की तात्कालिक आवश्यकता के लिए एक वैश्विक 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (EOI) जारी की।
- **पशु वसा (Tallow) पर सख्त प्रमाणन:** यूके जैसे विदेशी न्यायक्षेत्रों में उत्पन्न हुए सार्वजनिक विवादों को ध्यान में रखते हुए, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं के लिए स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करना अनिवार्य किया गया है कि पॉलिमर सबस्ट्रेट में कोई पशु वसा (animal tallow) या पशु डीएनए शामिल नहीं है।
- **भू-राजनीतिक फ़ायरवॉल जनादेश:** बोलीदाताओं को एक सत्यनिष्ठा समझौते (integrity pact), गोपनीयता अनुबंध, और बिना-एजेंट समझौते के साथ-साथ अपने भारतीय परिचालन को चीन और पाकिस्तान में किसी भी व्यावसायिक उपस्थिति से पूरी तरह से अलग (firewall) रखने का एक अनिवार्य उपक्रम निष्पादित करना होगा।

- पायलट लक्ष्य मूल्यवर्ग (Pilot Target Denominations):** आरबीआई अंतिम निविदा आवंटन से पहले विविध भारतीय जलवायु क्षेत्रों में नमूना टिकाऊपन का परीक्षण करने के लिए ₹10 और ₹20 के निम्न मूल्यवर्ग में पॉलिमर-आधारित नोटों की प्रारंभिक शुरुआत का प्रस्ताव करता है।
- प्रमुख बोलीदाता और तकनीकी भागीदारी:** मुख्य दावेदारों में भारतीय निर्माता कॉस्मो फर्स्ट (यूके-आधारित डी ला रू के साथ साझेदारी में), ऑस्ट्रेलिया की सीसीएल सिक्पोर (जो 40 केंद्रीय बैंकों को आपूर्ति करती है), और वियतनाम की क्यूएंडटी हाई-टेक पॉलिमर कंपनी शामिल हैं।
- टिकाऊपन और जीवनचक्र के लाभ:** द्वि-अक्षीय उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन (BOPP) से बने पॉलिमर बैंकनोट, पारंपरिक कपास-चिथड़े (cotton-rag) मुद्रा कागज की तुलना में छह गुना अधिक समय तक चलते हैं, जो स्वच्छ, जालसाजी-प्रतिरोधी और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- पॉलिमर सबस्ट्रेट (Polymer Substrate):** एक गैर-रेशेदार, गैर-छिद्रपूर्ण प्लास्टिक फिल्म—आमतौर पर द्वि-अक्षीय उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन (BOPP)—जिसका उपयोग मुद्रा छपाई के आधार सामग्री के रूप में किया जाता है, जो टिकाऊपन और सुरक्षा को बढ़ाती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड (BRBNMPL):** भारत में बैंकनोट उत्पादन और सुरक्षा मुद्रण बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने के लिए 1995 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** धारा 22 आरबीआई को भारत में बैंकनोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्रदान करती है, जबकि धारा 25 केंद्रीय सरकार को, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर, मुद्रा के डिजाइन, रूप और भौतिक संरचना को मंजूरी देने का अधिकार देती है।
- सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश [Public Procurement (Preference to Make in India) Order]:** सुरक्षा मुद्रण निविदाओं को नियंत्रित करता है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय अवसंरचना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जांच के साथ घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहनों को संतुलित करता है।
- सातवीं अनुसूची (संघ सूची, प्रविष्टि 36):** भारत की संसद को मुद्रा, सिक्का निर्माण, लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) और विदेशी मुद्रा पर अनन्य विधायी और नियामक शक्ति प्रदान करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

पॉलिमर बैंकनोट्स की ओर संक्रमण भारत के मुद्रा प्रबंधन में एक प्रमुख संरचनात्मक आधुनिकीकरण का प्रतीक है। गैर-पशु वसा प्रमाणन, संवेदनशील देशों के खिलाफ कठोर सुरक्षा फ़ायरवॉल और उन्नत जालसाजी-रोधी सुविधाओं को लागू करके, आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रा नवाचार सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं दोनों के साथ तालमेल बनाए रखे।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (भारतीय रिजर्व बैंक)।
- जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (मुद्रा प्रबंधन और मौद्रिक अवसंरचना); सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; नकली मुद्रा की रोकथाम और वित्तीय सुरक्षा में तकनीकी प्रगति।

6. श्रीलंका ने तमिलनाडु में रहने वाले लौट रहे शरणार्थियों के लिए कानूनी बाधाओं को माफ किया

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- कानूनी बाधाओं को हटाना:** श्रीलंकाई सरकार ने एक कैबिनेट फैसले को मंजूरी दी, जिसके तहत 19 मई 2009 से पहले वैध पासपोर्ट के बिना या अनधिकृत प्रस्थान बिंदुओं के माध्यम से गृहयुद्ध से भागे शरणार्थियों के लिए आव्रजन मुकदमेबाजी (immigration prosecution) को माफ कर दिया गया है।
- सुरक्षा मंजूरी प्रक्रिया:** स्थापित श्रीलंकाई नागरिकता वाले लौटने वाले व्यक्ति राज्य खुफिया सेवा (State Intelligence Service) से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद अधिकृत बंदरगाहों/हवाई अड्डों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आगमन पर हिरासत में लिए जाने का डर समाप्त हो जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र का स्वागत और मंशा:** संयुक्त राष्ट्र ने इस फैसले का उन विस्थापित व्यक्तियों के लिए "सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी" को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में स्वागत किया, जिन्हें हाल ही में 2025 के अंत तक कानूनी मुकदमेबाजी के जोखिम का सामना करना पड़ रहा था।
- तमिलनाडु में जनसांख्यिकीय पदचिह्न:** लगभग 90,000 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत में रहते हैं, जिनमें से 58,000 से अधिक तमिलनाडु के 29 जिलों में 103 आधिकारिक पुनर्वास शिविरों में फैले हुए हैं, साथ ही 30,000 पुलिस निगरानी के तहत शिविरों से बाहर रह रहे हैं।
- पीढ़ीगत अलगाव (Intergenerational Disconnect):** विस्थापन के तीन दशकों से अधिक समय ने एक पीढ़ीगत अंतर पैदा कर दिया है; जबकि उम्रदराज शरणार्थी अपनी मातृभूमि से संबंध बनाए रखते हैं, तमिलनाडु में पैदा हुई या पली-बढ़ी युवा पीढ़ियां मुख्य रूप से भारत के साथ पहचान कायम करती हैं।
- आजीविका और एकीकरण की वास्तविकताएं:** सरकार के पुनर्वास प्रस्तावों के बावजूद, शरणार्थियों को भूमि स्वामित्व, आवास स्थिरता, रोजगार, बच्चों की शिक्षा, और श्रीलंका में शून्य से नया जीवन शुरू करने के संबंध में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक झिझक का सामना करना पड़ता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- शरणार्थी स्थिति (Refugee Status):** अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के तहत उन व्यक्तियों के लिए एक कानूनी पदनाम, जो युद्ध, उत्पीड़न या हिंसा के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर हैं और जिन्हें अपने मूल राज्य से सुरक्षा प्राप्त नहीं है।
- स्वेच्छा से स्वदेश वापसी (Voluntary Repatriation):** सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की स्थितियों के तहत शरणार्थियों का अपने मूल देश में स्वेच्छा से लौटने का संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (Foreigners Act, 1946 & Passport Act, 1920):** श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों सहित गैर-नागरिकों के प्रवेश, प्रवास, शिविर पंजीकरण और आवाजाही प्रतिबंधों को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक भारतीय कानून।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** सभी व्यक्तियों (नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों) को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, बुनियादी आश्रय, गरिमा और मनमानी हिरासत से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **1951 शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल:** यद्यपि भारत और श्रीलंका हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (customary international law) 'नॉन-रिफ़ॉर्मेट' (non-refoulement - असुरक्षित वातावरण में जबरन वापसी पर रोक) के सिद्धांत पर जोर देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

श्रीलंका का नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण कानूनी बाधाओं का समाधान करता है, फिर भी आर्थिक अनिश्चितताओं और भारत में पीढ़ीगत समावेशन (assimilation) के कारण स्वेच्छा से स्वदेश वापसी अत्यधिक सीमित है। वास्तविक एकीकरण या सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय पुनर्वास पैकेज, संपत्ति बहाली और टिकाऊ आजीविका सहायता को शामिल करने वाली एक समग्र रणनीति की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** भारत और उसके पड़ोसी संबंध; भारतीय हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय विकास; विदेश नीति, मानव अधिकार और शरणार्थी शासन ढांचे से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, सीमा प्रबंधन मुद्दे, सीमा पार प्रवासन और तटीय राज्यों में लंबे समय तक विस्थापन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव।

7. भारत परिदृश्य: लचीलापन बनाम अंतर्निहित जोखिम

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **संवृद्धि में लचीलापन (Growth Resilience):** पश्चिम एशिया संघर्ष और उच्च घरेलू तापमान के कारण आर्थिक व्यवधान की शुरुआती आशंकाओं को खारिज करते हुए, Q1 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7%-7.5% के करीब बने रहने का अनुमान है।
- **सेवा क्षेत्र एक कुशन (Cushion) के रूप में:** भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 55% का योगदान देने वाला मजबूत सेवा निर्यात और स्थिर प्रेषण (remittances) माल व्यापार घाटे की भरपाई कर रहे हैं, जिससे चालू खाता घाटा (CAD) जीडीपी के लगभग 0.3% पर प्रबंधनीय बना हुआ है।
- **मौद्रिक संचरण (Monetary Transmission):** दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 के बीच रेपो दर में 125 आधार अंकों (basis points) की कटौती ने निजी ऋण वृद्धि, कम उधार लागत और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दिया है।
- **राजकोषीय प्रोत्साहन का प्रभाव:** वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में पिछले युक्तिकरण से उपभोक्ता क्रय शक्ति में सुधार हुआ, जबकि अग्रिम (front-loaded) विनिर्माण उत्पादन ने बाहरी झटकों को अवशोषित करने में मदद की।

- **कमजोरियां (Vulnerabilities):** आर्थिक वृद्धि स्वर्ण ऋण (gold loans) और कार्यशील पूंजी की जरूरतों जैसे अल्पकालिक कारकों पर अत्यधिक निर्भर है, जबकि मुद्रास्फीति की गतिशीलता बढ़ती सेवाओं की मुद्रास्फीति और कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम के व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था (Goldilocks Economy):** इष्टतम आर्थिक प्रदर्शन की एक स्थिति जो स्थिर विकास, कम बेरोजगारी और कम मुद्रास्फीति द्वारा चित्रित होती है—जो न तो अत्यधिक गर्म (overheating) होती है और न ही सिकुड़ती (contracting) है।
- **चालू खाता घाटा (Current Account Deficit - CAD):** किसी देश के व्यापार का एक माप जहां आयातित वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण का कुल मूल्य निर्यात के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है।
- **रेपो दर एवं मौद्रिक संचरण:** वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। संचरण (Transmission) इस बात को संदर्भित करता है कि नीतिगत दर में बदलाव बैंक ऋण दरों के माध्यम से उपभोक्ताओं और व्यवसायों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचाए जाते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 112 (वार्षिक वित्तीय विवरण):** निरंतर व्यापक आर्थिक (macroeconomic) स्थिरता के लिए आवश्यक सार्वजनिक व्यय, कराधान नीतियों और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का ढांचा तय करता है।
- **आरबीआई अधिनियम, 1934 और लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT):** धारा 45ZB के तहत, मौद्रिक नीति समिति (MPC) को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को $\pm 2\%$ के सहिष्णुता बैंड के साथ 4% पर बनाए रखने का वैधानिक जनादेश प्राप्त है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** पूंजीगत व्यय को बनाए रखते हुए सार्वजनिक ऋण को प्रबंधनीय रखने के लिए दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन का मार्गदर्शन करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यद्यपि भारत की उच्च हेडलाइन जीडीपी वृद्धि दर उल्लेखनीय बाहरी झटकों को अवशोषित करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है, फिर भी दीर्घकालिक स्थिरता संरचनात्मक कमजोरियों को संबोधित करने पर निर्भर करती है। टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए सेवा निर्यात को संरचनात्मक बढ़ावा, लचीले घरेलू विनिर्माण और खाद्य एवं सेवा मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र पर सख्त निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** योजना, संसाधनों की लामबंदी, विकास, रोजगार, मौद्रिक नीति संचरण, बाहरी व्यापार संतुलन और मुद्रास्फीति की गतिशीलता से संबंधित मुद्दों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Exam):** CAD घटकों, मौद्रिक नीति समिति (MPC) के जनादेश, मुद्रास्फीति सूचकांक (CPI बनाम WPI), और गोल्डीलॉक्स परिदृश्यों जैसी आर्थिक शब्दावली पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

8. अमेरिका द्वारा ओंटारियो झील का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' करने का एकतरफा फैसला

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- नाम बदलने का कार्यकारी आदेश:** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका-कनाडा सीमा पर स्थित ओंटारियो झील को "लेक अमेरिका" (Lake America) के रूप में एकतरफा नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसे उन्होंने एक प्रमुख घरेलू संपत्ति बताया।
- कनाडाई अस्वीकृति:** कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस कदम को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि "ओंटारियो" नाम स्वदेशी वेंडेट (Wendat) लोगों से लिया गया है और यह कनाडाई परिसंघ (Canadian Confederation) तथा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा दोनों से पुराना है।
- ग्रेट लेक्स का महत्व:** लेक ओंटारियो 'ग्रेट लेक्स' प्रणाली (सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और एरी के साथ) का हिस्सा है, जो अमेरिका के 90% ताजे पानी और दुनिया के सतह के 20% ताजे पानी का भंडार है, और दोनों देशों के 40 मिलियन लोगों को पीने का पानी प्रदान करता है।
- अंतर्निहित भू-राजनीतिक तनाव:** यह कदम द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के विफल होने और उसके बाद टैरिफ में वृद्धि के बाद उठाया गया है, जो जनवरी 2025 के उस निर्णय की याद दिलाता है जहां अमेरिका ने अप्रवासन विवादों के दौरान मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर "गल्फ ऑफ अमेरिका" कर दिया था।
- क्षेत्राधिकार संबंधी पहुंच:** यह एकतरफा कार्यकारी आदेश केवल अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) जैसे घरेलू अमेरिकी संघीय निकायों पर बाध्यकारी है, बिना कनाडा या वैश्विक निकायों पर आधिकारिक नामकरण बदलने का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्व डाले।
- डिजिटल मैपिंग प्रोटोकॉल:** गूगल मैप्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के भूगोल के आधार पर स्थानीयकृत नामकरण को दर्शाते हैं; अमेरिकी उपयोगकर्ता "लेक अमेरिका" देखते हैं, कनाडाई उपयोगकर्ता "लेक ओंटारियो" देखते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता (भारत सहित) "लेक ओंटारियो (लेक अमेरिका)" जैसे दोहरे नामकरण को देखते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- ग्रेट लेक्स सिस्टम (Great Lakes System):** पूर्वी उत्तरी अमेरिका में यूएस-कनाडा सीमा पर फैली पांच बड़ी मीठे पानी की झीलों की एक परस्पर जुड़ी श्रृंखला, जो विश्व स्तर पर मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा सतही समूह बनाती है।
- एकतरफा कार्यकारी आदेश (Unilateral Executive Order):** एक एकल संप्रभु राज्य के भीतर संघीय एजेंसियों को जारी किया गया एक राष्ट्रपति का निर्देश, जो घरेलू रूप से वैधानिक बल रखता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में इसका कोई अतिरिक्त-क्षेत्रीय (extra-territorial) प्रभाव नहीं होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अंतर्राष्ट्रीय जल कानून और सीमा जल संधि (1909) [Boundary Waters Treaty, 1909]:** अमेरिका और कनाडा के बीच साझा जल निकायों के संयुक्त प्रबंधन, नौवहन और पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करता है, जिससे 'अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त आयोग' (IJC) की स्थापना हुई।

- **भौगोलिक नामों पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह (UNGEGN):** संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय जो साझा सीमा पार सुविधाओं के लिए ऐतिहासिक मिसाल और आपसी सहमति पर जोर देते हुए भौगोलिक नामों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को बढ़ावा देता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 (तुलनात्मक संदर्भ):** संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जो साझा सीमा पार प्राकृतिक संसाधनों पर कार्यपालिका-नेतृत्व वाली एकतरफा कार्रवाइयों के विपरीत है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सीमा पार भौगोलिक सुविधाओं का एकतरफा नामकरण व्यापार गतिरोध के दौरान एक भू-राजनीतिक कूटनीतिक तंत्र के रूप में कार्य करता है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसमें कानूनी बल का अभाव है। ग्रेट लेक्स जैसी साझा प्राकृतिक संपत्तियों के समन्वित प्रबंधन के लिए बहुपक्षीय सहमति, ऐतिहासिक सम्मान और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सीमा संधियों के पालन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर I:** भौतिक भूगोल (विश्व की प्रमुख मीठे पानी की प्रणालियां, ग्रेट लेक्स का वितरण) और सांस्कृतिक/ऐतिहासिक नामकरण (Toponymy)।
- **जीएस पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय व्यापार विवाद, सीमा पार जल शासन, संप्रभुता बनाम एकतरफावाद के सिद्धांत, UNGEGN जैसे संयुक्त राष्ट्र निकाय)।

9. भारत ने फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS) के जरिए अमेरिकी जेवेलिन एंटी-टैंक मिसाइलें हासिल कीं

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **सौदे को अंतिम रूप देना:** भारत ने भारतीय सेना के लिए तीसरी पीढ़ी की जेवेलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें (ATGMs) हासिल करने हेतु फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS) मार्ग के तहत अमेरिका के साथ एक 'ऑफर और स्वीकृति पत्र' (LOA) पर हस्ताक्षर किए।
- **ऐतिहासिक देरी (2010-2026):** 2010 में शुरू हुई खरीद वार्ताएं कोर इंफ्रारेड सीकर सिस्टम (seeker systems) के लिए वाशिंगटन द्वारा 100% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) प्रदान करने से इनकार करने के कारण बार-बार ठप हुई।
- **वैकल्पिक अंतरिम उपाय:** 2014 में खरीद प्रक्रिया इजरायल के स्पाइक (Spike) सिस्टम की ओर स्थानांतरित हुई, जिसके बाद 2017 में परीक्षण रद्द कर दिए गए और बाद में 2019 में स्पाइक-एलआर वेरिएंट की आपातकालीन खरीद की गई।
- **सह-उत्पादन की ओर रणनीतिक बदलाव:** जेवेलिन सौदे का पुनरुद्धार शुद्ध ToT मॉडल से औद्योगिक सह-उत्पादन में बदल गया है, जिसे जेवेलिन जॉइंट वेंचर (लॉकहीड मार्टिन और RTX) तथा भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के बीच एक समझौते का समर्थन प्राप्त है।

- पैदल सेना (Infantry) के शस्त्रागार का आधुनिकीकरण:** यह अधिग्रहण मैन-पोर्टेबल एंटी-आर्मर क्षमता में परिचालन संबंधी कमी को संबोधित करता है, जो मिलान-2टी और कोंकर्स जैसे पुराने पारंपरिक प्रणालियों का पूरक है।
- मल्टी-ट्रैकिंग खरीद:** इस अधिग्रहण में तत्काल तैयार (off-the-shelf) आपातकालीन डिलीवरी के साथ-साथ स्थानीय असेंबली को शामिल करने वाले दीर्घकालिक अनुबंध शामिल हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS):** अमेरिकी सरकार से सरकार (government-to-government) की एक खरीद प्रणाली जहां अमेरिकी रक्षा विभाग विदेशी साझेदार देशों की ओर से रक्षा ठेकेदारों के साथ सीधे बातचीत करता है।
- फायर-एंड-फॉरगेट क्षमता (Fire-and-Forget Capability):** एक मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली जो स्वायत्त ट्रैकिंग (जैसे, इमेजिंग-इंफ्रारेड) का उपयोग करती है, जिससे ऑपरेटरों को लॉन्च के तुरंत बाद मैनुअल मार्गदर्शन के बिना जगह बदलने या कवर लेने की अनुमति मिलती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- सातवीं अनुसूची (संघ सूची, प्रविष्टि 2):** भारत की संसद को नौसेना, सेना और वायु सेना के साथ-साथ विदेशी रक्षा खरीद नीतियों पर अनन्य विधायी अधिकार प्रदान करती है।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** विदेशी सरकार के समझौतों के तहत पूंजीगत अधिग्रहण को नियंत्रित करती है, जो अंतर-सरकारी समझौतों (IGA), आपातकालीन खरीद (EP) सीमाओं और स्वदेशी सह-उत्पादन ऑफसेट को विनियमित करती है।
- हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम (AECA) [US Code Title 22]:** अमेरिकी संघीय कानून जो राष्ट्रपति को रक्षा सामग्री और सेवाओं के निर्यात को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, और अमेरिकी कांग्रेस को जारी किए गए FMS प्रमाणन को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

जेवेलिन अधिग्रहण को अंतिम रूप देना भारत की रक्षा खरीद रणनीति में व्यावहारिक बदलाव को प्रदर्शित करते हुए लंबे समय से चली आ रही इन्फैंट्री की कमी को दूर करता है। कड़े पूर्ण-TOA आवश्यकताओं से आगे बढ़कर संयुक्त निर्माण और सह-असेंबली की ओर बढ़ना अमेरिकी रणनीतिक संरेखण को मजबूत करता है और सामरिक युद्ध के मैदान की क्षमताओं का उन्नयन करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध (भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी); रक्षा ढांचा, FMS मार्ग, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधाएं।
- जीएस पेपर III:** सुरक्षा चुनौतियां और परिचालन तत्परता; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण (रक्षा में आत्मनिर्भर भारत); मैन-पोर्टेबल ATGMs (जेवेलिन) और प्लेटफॉर्म-आधारित स्वदेशी प्रणालियों (नाग/हेलीना) के बीच तुलना।

10. हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकी नाजुकता और आपदा जोखिम

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- आपदा आवृत्ति में वृद्धि:** हिमालय-काराकोरम क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित अवसंरचना से बढ़ती पारिस्थितिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रमाण व्यापक फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़), ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF), और विनाशकारी हिमस्खलन हैं।
- गंभीर GLOF भेद्यता:** इस क्षेत्र में 48,000 वर्ग किमी से अधिक फैले ग्लेशियरों में 5,000 से अधिक मानचित्रित ग्लेशियर झीलें शामिल हैं, जिनमें से लगभग 500 को खतरनाक या अत्यधिक खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके कारण 388 से अधिक दर्ज GLOF घटनाएं हुई हैं।
- सिस्टम की वहन क्षमता (Carrying Capacity) की विफलता:** अनियंत्रित वाणिज्यिक विस्तार—जिसमें बहुमंजिला गेस्ट हाउस, ढाबे और तीर्थयात्रा मार्गों पर भारी पर्यटक यातायात शामिल हैं—वहन क्षमता से अधिक हो गया है, जिससे कचरा प्रबंधन में विफलताएं हुई हैं और मानसून के दौरान जोखिम बढ़ा है।
- जलविद्युत परियोजनाओं में व्यवधान:** रन-ऑफ-द-रिवर और बांध परियोजनाओं को फ्लैश फ्लड और GLOFs के कारण बार-बार विनाश का सामना करना पड़ता है, जैसा कि सिक्किम में तीस्ता-III, उत्तराखंड में ऋषिगंगा के विनाश और नेपाल में पावर ग्रिड के नुकसान से देखा गया है।
- सीमा पार जल सुरक्षा चिंताएं:** भारत, चीन और नेपाल के बीच सीमा पार नदी प्रवाह प्रबंधन अनियमित प्रारंभिक चेतावनी डेटा साझाकरण के कारण असंगत बना हुआ है, जो मेडोग बांध (Medog Dam) जैसे विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण से और बढ़ गया है।
- भूकंपीय और विवर्तनिक (Seismic & Tectonic) खतरे:** सक्रिय फॉल्ट प्रणालियों (जैसे पैज़ेन फॉल्ट) के साथ निर्मित विशाल बुनियादी ढांचा जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता, भूस्खलन अवरोधों और उत्तर-पूर्वी भारत में डाउनस्ट्रीम फ्लैश फ्लडिंग के जोखिम को बढ़ाता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF):** ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील से पानी का अचानक छोड़ना, जो तब ट्रिगर होता है जब हिमस्खलन, भूकंप या पानी के दबाव के निर्माण के कारण प्राकृतिक मलबे (moraine) या बर्फ के बांध टूट जाते हैं।
- वहन क्षमता (Carrying Capacity):** अधिकतम जनसंख्या आकार या पर्यावरण भार जो एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी रूप से बिना किसी क्षरण या आपदा जोखिम को बढ़ाए सहन कर सकता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 48A और 51A(g):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का जनादेश देता है, जबकि नागरिकों पर वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य लागू करता है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** केंद्र सरकार को औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करने, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) स्थापित करने और कड़े पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को अनिवार्य करने का अधिकार देता है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** जोखिम शमन के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करता है, जो GLOF निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और जोखिम प्रबंधन के लिए NDMA दिशा-निर्देश स्थापित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हिमालयी पारिस्थितिकी प्रणालियों का तेजी से क्षरण भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में पारंपरिक अवसंरचना विकास की सीमाओं को रेखांकित करता है। क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए कड़े वहन-क्षमता थ्रेशोल्ड को लागू करने, बायो-इंजीनियरिंग को प्राथमिकता देने, विश्वसनीय सीमा पार डेटा साझाकरण स्थापित करने और नदी-बेसिन प्रबंधन रणनीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर I:** हिमालय का भौतिक भूगोल, ग्लेशियोलॉजी (हिमनद विज्ञान), और प्राकृतिक खतरों के तंत्र (GLOFs, भूकंप, भूस्खलन)।
- जीएस पेपर III:** पर्यावरण क्षरण, आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल, पारिस्थितिकी तंत्र लचीलापन, और नाजुक क्षेत्रों में अवसंरचना योजना।

11. नासा ने डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सफल कक्षीय प्रक्षेपण:** नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए अपना \$4.3 बिलियन का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया।
- लैंग्रेज प्वाइंट गंतव्य:** बस के आकार की यह वेधशाला पृथ्वी से लगभग 1.6 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित सूर्य-पृथ्वी लैंग्रेज प्वाइंट 2 (L2) की परिक्रमा करने के लिए तीन महीने की यात्रा पर निकल रही है।
- विस्तृत दृष्टि क्षेत्र (Field of View):** रोमन में 2.4-मीटर का मुख्य दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 100 गुना अधिक व्यापक है, जो अभूतपूर्व गति से आकाश का त्वरित मानचित्रण करने में सक्षम बनाता है।
- कोर वैज्ञानिक मिशन:** टेलीस्कोप को डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ब्रह्मांडीय विस्तार की प्रकृति की जांच करने के साथ-साथ हजारों बाहरी ग्रहों (exoplanets) की खोज के लिए अरबों आकाशगंगाओं का मानचित्रण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- सहक्रियात्मक ब्रह्मांडीय बेड़ा:** रोमन विस्तृत-क्षेत्र (wide-field) लक्ष्यों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रदान करके जेम्स वेब, यूक्लिड और वेरा सी. रुबिन वेधशाला जैसी मौजूदा अंतरिक्ष वेधशालाओं का पूरक होगा।
- नामकरण और विरासत:** नासा की पहली मुख्य खगोलशास्त्री और "हबल की माता" डॉ. नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में नामित, यह नासा के किसी महिला के नाम पर रखे गए पहले अंतरिक्ष टेलीस्कोप का प्रतिनिधित्व करता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- लैंग्रेज प्वाइंट 2 (L2):** अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण रूप से स्थिर स्थान जो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के ठीक पीछे 1.6 मिलियन किमी दूर स्थित है, जिससे अंतरिक्ष यान न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक स्थिर कक्षा बनाए रख सकता है।
- डार्क एनर्जी और डार्क मैटर:** अदृश्य ब्रह्मांडीय घटक जो ब्रह्मांड का ~95% हिस्सा बनाते हैं; डार्क एनर्जी अंतरिक्ष के त्वरित विस्तार को संचालित करती है, जबकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है जो आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने के प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को स्थापित करता है।
- बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967):** अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का मूलभूत ढांचा, जो यह स्थापित करता है कि बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण पूरी मानवता के लाभ के लिए किया जाएगा और संप्रभुता के दावे द्वारा राष्ट्रीय अधिग्रहण को प्रतिबंधित करता है।
- अमेरिकी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम (1958):** नासा की स्थापना करने वाला वैधानिक आधार, जो अंतरिक्ष घटनाओं में नागरिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण सुदूर-अंतरिक्ष अवलोकन खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। व्यापक-क्षेत्र कॉस्मोलॉजिकल सर्वेक्षण और लक्षित एक्सोप्लेनेटरी अन्वेषण के बीच के अंतर को पाटकर, यह मिशन ब्रह्मांडीय विस्तार, संरचनात्मक विकास और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य से संबंधित मूलभूत प्रश्नों को अनलॉक करने का वादा करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी—दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग; अवलोकन खगोल विज्ञान में अंतरिक्ष एजेंसियों की उपलब्धियां; कॉस्मोलॉजी (ब्रह्मांड विज्ञान), एक्सोप्लेनेट्स और डीप-स्पेस मिशन की बुनियादी अवधारणाएं।
- जीएस पेपर I:** सामान्य विज्ञान और भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं (ब्रह्मांड, सौर मंडल, गुरुत्वाकर्षण और कक्षीय यांत्रिकी)।

12. ओबीसी क्रीमी लेयर अपवर्जन और आय परीक्षण

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- आय परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:** 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन' (मार्च 2026) में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन उम्मीदवारों के लिए ओबीसी "क्रीमी लेयर" स्थिति निर्धारित करते समय पैतृक वेतन आय को शामिल नहीं किया जा सकता है, जिनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs)

या निजी रोजगार में काम करते हैं, जहां सरकारी सेवाओं के साथ पद-समक्षता (post-equivalence) स्थापित नहीं की गई है।

- **द्वेषपूर्ण भेदभाव की पहचान:** अदालत ने माना कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन आय को बाहर रखते हुए PSU और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का मूल्यांकन वेतन के आधार पर करना "द्वेषपूर्ण भेदभाव" (hostile discrimination) है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि असमान लोगों के साथ समान और समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है।
- **2004 के DoPT पत्र को खारिज करना:** डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि DoPT का 2004 का पत्र—जिसमें PSU कर्मचारियों के वेतन को शामिल किया गया था—मूल 1993 के कार्यालय ज्ञापन (OM) को ओवरराइड नहीं कर सकता, जहां अवशेष (residual) "आय/संपत्ति परीक्षण" के तहत वेतन और कृषि आय को जानबूझकर बाहर रखा गया था।
- **सुपरन्यूमरी (अधिसंख्या) पदों के लिए निर्देश:** अदालत ने केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर सुपरन्यूमरी पद सृजित करने का निर्देश दिया ताकि उन पीड़ित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सके जिन्हें केवल पैतृक वेतन के आधार पर गलत तरीके से क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- **केंद्र की कार्यान्वयन चुनौतियां:** केंद्र ने स्पष्टीकरण और राहत की मांग करते हुए आवेदन दायर किए, जिसमें तर्क दिया गया कि 2012 के बाद से पूर्वव्यापी कार्यान्वयन (retrospective implementation) से तय सेवा आवंटन, वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सभी श्रेणियों में नए मुकदमे शुरू हो जाएंगे।
- **चल रहे आवंटन के लिए याचिका:** केंद्र ने याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नई पीठ के गठन पर विचार करने के दौरान मौजूदा ढांचे के तहत CSE 2025 उम्मीदवारों के लिए सेवाएं आवंटित करना जारी रखने की अनुमति मांगी।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **क्रीमी लेयर (Creamy Layer):** अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण लाभ प्राप्त करने से बाहर करने का एक तंत्र।
- **अवशेष आय परीक्षण (Residual Income Test):** 1993 के OM की श्रेणी VI के तहत मापदंड, जो विशेष रूप से गैर-वेतन और गैर-कृषि स्रोतों (जैसे व्यापार, संपत्ति) से प्राप्त वार्षिक आय सीमा (वर्तमान में ₹8 लाख) लागू करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 14 और 16(4):** कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, बशर्ते कि क्रीमी लेयर को बाहर रखा गया हो (इंद्रा साहनी, 1992)।
- **1993 का कार्यालय ज्ञापन बनाम 2004 का पत्र:** औपचारिक वैधानिक या नीतिगत संशोधन के बिना अधीनस्थ स्पष्टीकरण पत्रों (2004 पत्र) द्वारा मौलिक प्रशासनिक दिशा-निर्देशों (1993 OM) को बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओबीसी क्रीमी लेयर अपवर्जन के संबंध में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच समानता स्थापित करता है। लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक मनमानी को हल करते हुए, पद-समक्षता स्थापित करने में कार्यपालिका की देरी के कारण संवैधानिक समानता को कमजोर किए बिना प्रणालीगत प्रशासनिक स्थिरता की रक्षा के लिए संतुलित कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14, 16); संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; कार्यकारी परिपत्रों की भूमिका बनाम न्यायिक व्याख्या; प्रशासनिक निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

